राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक : प. 16(6) सानि/2015 जयपुर, दिनांक 10 FEB 2015

–:: आदेश ::–

विभाग में कार्यरत अभियंताओं/अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम–16/17 के तहत कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव की ओर से प्राप्त हुए प्रस्तावों को सक्षम अनुमोदन के पश्चात् कार्मिक विभाग को भिजवाया जाता है। कार्मिक विभाग द्वारा आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी किये जाने से पूर्व आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर प्रशासनिक विभाग की टिप्पणी चाही जाती है। विभाग की ओर से मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव को ऐसे प्रकरण टिप्पणी हेतु भिजवाये जाते है।

मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव की ओर से ऐसे प्रकरणों के संबंध में प्राप्त होने वाली टिप्पणी न तो प्रस्तावित आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर भिजवायी जाती है और न ही जांच अधिकारी/प्राथमिक जांच में वर्णित बिन्दुओं के तहत ही परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि जिस अधिकारी/मुख्य अभियंता द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र प्रस्तावित किया गया है, उसी अधिकारी/मुख्य अभियंता द्वारा केवल मात्र आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तावित कार्यवाही समाप्त करने/दोषमुक्त करने की अभिशंषा कर दी जाती है। यह प्रक्रिया कदापि उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने से पूर्व विभागाध्यक्ष स्तर पर पूर्ण परीक्षण किये जाने, आरोपी अधिकारी को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये जाने के बाद आरोपी अधिकारी के स्पष्टीकरण से असहमत होने पर ही कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। विशेष रूप से सीसीए नियम–16 के तहत प्रस्तावित की जाने वाली कार्यवाही के साथ संलग्न किये गये जाने वाले परिशिष्ट–'स' में आरोपी अधिकारी के स्पष्टीकरण से असहमत होने के कारण का उल्लेख किया जाता है। अतः पूर्व में प्रस्तावित कार्यवाही को बिना किसी ठोस आधार/औचित्य के ड्रॉप किये जाने/दोषमुक्त किये जाने का प्रस्ताव भिजवाया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है।

इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि पूर्व में किसी भवन/सड़क के निर्माण के दौरान रही कमियों के संबंध में प्रस्तावित की गई अनुशासनिक कार्यवाही को भवन/सड़क की वर्तमान स्थिति के आधार पर समाप्त करने की अभिशंषा भिजवा दी जाती है। यह प्रक्रिया भी इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी भवन/सड़क के निर्माणाधीन रहने के दौरान कार्य/परियोजना पर कार्यरत रहे अभियंता द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में जांच अधिकारी/निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। ऐसी कार्यवाही को किसी भी परियोजना के पूर्ण होने अथवा वर्तमान में भवन/सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के आधार पर समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावित कार्यवाही भवन/परियोजना के निर्माणाधीन रहने के दौरान गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किये जाने के संबंध में की जानी है। अतः निरीक्षण के पश्चात् किये गये सुधार के आधार पर प्रस्तावित कार्यवाही समाप्त किये जाने की अभिशंषा किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त स्थिति की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिये निम्न निर्देश जारी किये जाते है:–

1. **विभाग के किसी भी अभियंता/अधिकारी के विरूद्ध सीसीए नियम–16/17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव संबंधित आरोपी अधिकारी को सुनवाई को पर्याप्त व उचित अवसर दिये जाने तथा निरीक्षण रिपोर्ट/जांच अधिकारी/प्राथमिक जांच में वर्णित तथ्यों का पूर्ण परीक्षण करने के बाद ही सीसीए नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विभाग को भिजवाये जाए।**

2. **जिन प्रकरणों में सीसीए नियम–16/17 के तहत कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को भिजवाये जाते है। उन प्रस्तावों के संबंध में इस विभाग/कार्मिक विभाग द्वारा चाही गई**

अतिरिक्त जानकारी/सूचना/रिकॉर्ड पत्र प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

3. आरोपी अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा चाही गई सूचना/टिप्पणी पूर्ण औचित्य के साथ इस विभाग में भिजवायी जाए। ताकि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर समुचित परीक्षण किये जाने के बाद कार्मिक विभाग को सूचना/टिप्पणी भिजवायी जा सकें।

4. यदि आरोपी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों से मुख्य अभियंता संतुष्ट है तो औचित्यपूर्ण टिप्पणी के साथ इस आशय की टिप्पणी भी भिजवायी जावे कि पूर्व में अधिकारी के विरूद्ध जो अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, वह कार्यवाही किस आधार पर/कारणों से गलत है तथा पूर्व में प्रस्तावित की गई गलत अनुशासनिक कार्यवाही के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है?

5. यदि किसी प्रकरण में पुनः जांच करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो तो ऐसी जांच पूर्व में जिस अधिकारी द्वारा की गई है। उससे कम से कम एक स्तर के उच्च अधिकारी/समकक्ष वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवायी जाए। जांच अधिकारी को यह निर्देश अवश्य दिये जावें कि यदि वे पूर्व जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो अपनी प्रस्तुत की जाने वाली जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख अवश्य किया जावें कि पूर्व जांच रिपोर्ट से असहमति के क्या आधार है?

6. जिस स्तर के अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है, उस स्तर के अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त नहीं की जाकर एक स्तर के उच्च अधिकारी/वरिष्ठ समकक्ष अधिकारी से औचित्यपूर्ण टिप्पणी प्राप्त करने के बाद ही विभाग को टिप्पणी भिजवायी जाए।

7. जिन प्रकरणों में आरोपी अधिकारी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने/दोषमुक्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। ऐसे प्रकरणों में जांच को समाप्त किये जाने/आरोपी अधिकारी को दोषमुक्त किये जाने का पर्याप्त व उचित कारण बताते हुए टिप्पणी भिजवायी जाए। यदि आरोपी अधिकारी लगाये गये आरोप के संबंध में दोषी नहीं है तो कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिये अन्य कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव भी ऐसी टिप्पणी के साथ ही भिजवाये जाए। यदि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है तो उसके लिये भी पर्याप्त व उचित कारण बताते हुए टिप्पणी भिजवायी जाए।

उपरोक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 खण्डेलवाल) 10/02/15
शासन सचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सानिवि, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त मुख्य अभियंता .....।
6. रक्षित अधिकारी।

(सांवर मल वर्मा) 10/2/15
संयुक्त शासन सचिव